

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
!! संकल्प !!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री अजय कुमार (बिहार नगर सेवा), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई द्वारा नगर पंचायत, बोधगया की साफ-सफाई व्यवस्था कायम रखने में अभिरुचि नहीं ली गई, बोधगया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश के बावजूद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

2. अतः बिहार राज्यपाल ने संकल्प लिया है कि श्री अजय कुमार के विरुद्ध विहित प्रपत्र में गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

4. श्री अजय कुमार, आरोपित पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष किसी कार्य दिवस में जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हो।


आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 (का0पदा0)-17/2018 6267 /न0वि0 एवं आ0वि0, पटना, दिनांक-26-11-19

प्रतिलिपि:- आरोप एवं साक्ष्य की प्रति सहित श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी/श्री अजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/श्री अजय कुमार (बिहार नगर सेवा), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट-1

आरोप-पत्र


(1) प्रथम भाग – सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

| | | |
|--|----|--|
| 1. नाम | :- | श्री अजय कुमार |
| 2. पदनाम | :- | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई |
| 3. जन्म तिथि | :- | 01.08.1980 |
| 4. सेवानिवृत्ति तिथि | :- | 31.08.2040 |
| 5. सेवा/संवर्ग का नाम | :- | बि0न0से0 |
| 6. पदसमूह एवं विभाग | :- | समूह 'ख' एवं नगर विकास एवं आवास विभाग |
| 7. वरीयता क्रमांक/सिविल लिस्ट क्रमांक | :- | अज्ञात |
| 8. वेतन बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतन स्तर | :- | पी0बी0-2 एवं 4600/7 |
| 9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन | :- | 2019 एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया |
| 10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि | :- | अज्ञात |


(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(2) द्वितीय भाग – अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई द्वारा नगर पंचायत, बोधगया की साफ-सफाई व्यवस्था कायम रखने में अभिरुचि नहीं लेने, बोधगया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने में उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद भी आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप।
2. उक्त से स्पष्ट है श्री अजय कुमार द्वारा नगर पंचायत, बोधगया के साफ-सफाई व्यवस्था में एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद भी कार्यों में अभिरुचि नहीं ली गई, जिसके फलस्वरूप बौध महोत्सव, 2019 के दौरान नगर पंचायत, बोधगया में साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं देखी गई, जो उनके पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की कमी को दर्शाता है। श्री कुमार का यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करने तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का द्योतक है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1) का उल्लंघन है।


26.11.19
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(3) तृतीय भाग – अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-302 दिनांक-03.12.18 द्वारा श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है :-


(i) दिनांक-27.11.18 को महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बिन्दु पर विचार विमर्श हेतु आहूत बैठक में श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये। समीक्षा बैठक में होटल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बताया गया कि श्री कुमार द्वारा बोधगया में साफ-सफाई नहीं की जा रही है, जिससे पर्यटकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है।

(ii) बोधगया भ्रमण के क्रम में आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया द्वारा बोधगया शहर में साफ-सफाई नहीं देखी गई तथा विगत वर्षों की तुलना में साफ-सफाई की स्थिति काफी खराब पाई गई।

(iii) महापावन दलाई लामा का बोधगया आगमन एवं प्रवास दिनांक-16.12.18 से 31.12.18 तक निर्धारित है एवं बौद्ध महोत्सव, 2019 दिनांक-11.01.19 से 13.01.19 तक निर्धारित है, जिसके आलोक में बोधगया की बेहतर साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना आवश्यक है साथ ही बोधगया में आने वाले अतिविशिष्ट/विशिष्ट अतिथियों की स्वागत एवं अन्य व्यवस्था की तैयारी भी आवश्यक है, परन्तु श्री कुमार द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण अतिथियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।


(iv) बोधगया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर पंचायत, बोधगया द्वारा लगाये गये 52 सी0सी0टी0भी0 कैमरा में से मात्र 14 कैमरा ही क्रियाशील रहने की स्थिति में कई बार श्री कुमार को वरीय पदाधिकारी द्वारा बोधगया की सुरक्षा संबंधी बैठक में कैमरे की मरम्मत कराने एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के अध्याचना के आलोक में कुछ स्थानों पर नया सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने का आदेश दिया गया, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में भी कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई।

2. उक्त से स्पष्ट है कि श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई द्वारा नगर पंचायत, बोधगया की साफ-सफाई व्यवस्था कायम रखने में अभिरुचि नहीं लिया गया, तथा बोधगया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने में उच्चाधिकारियों के आदेश के बावजूद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। श्री कुमार का यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना करने तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का द्योतक है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1) का उल्लंघन है।


(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(4) चतुर्थ भाग – (क) दस्तावेजों की सूची
(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

| क्र० | संबंधित पत्र/अभिलेख | पृष्ठों की संख्या |
|------|--|-------------------|
| 1 | आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-302 दिनांक-03.12.18 एवं 2091 दिनांक-27.09.19 की छायाप्रति, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-6520 दिनांक-14.12.18 एवं 1771 दिनांक-26.03.19 की छायाप्रति, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया के पत्रांक-1250 दिनांक-17.12.18 की छायाप्रति। | 09 |


(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमण्डल, गया।


पत्रांक...302.../2018

प्रेषक,

टी०एन० विन्देश्वरी, भा.प्र.से.
आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।



विषय :-

श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया के स्थान
किसी योग्य कार्यपालक पदाधिकारी के बोधगया में पदस्थापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 27.11.2018 को महाबं मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बिन्दु पर विचार-विमर्श हेतु आहूत बैठक में श्री अजय कुमार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये। समी बैठक में होटल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बताया गया कि बोधगया में सफाई नहीं की रही है तथा सभी नालियों में टोस-अपशिष्ट पड़े हुए हैं, जिसके कारण बोधगया में आने वाले पर्यटकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बोधगया भ्रमण के क्रम में बोधगया शहर की साफ-सफाई नहीं देखी गई। साथ ही यह ज्ञात हुआ कि इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में बोधगया में साफ-सफाई की स्थिति काफ खराब है। इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी एवं जिला पदाधिकारी, गया द्वारा बोधगया साफ-सफाई एवं नगर पंचायत के कार्यों को सुचारु रूप से नहीं रखने के कारण तथा कामें लापरवाही बरतने एवं बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आलोक में इन कारण-पृच्छा किया गया।

इस संबंध में यह भी सूचित करना है कि महापावन दलाई लामा का बोधगया आगमन एवं प्रवास दिनांक 16.12.2018 से 31.12.2018 तक निर्धारित है एवं बौद्ध महोत्सव 2019 दिनांक 11.01.2019 एवं 13.01.2019 तक निर्धारित है, जिसके आलोक में बोधगया की बेहतर साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना आवश्यक है, परन्तु श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया द्वारा उक्त कार्यों में कोई अभिरुची नहीं ली जा रही है। साथ ही जिला पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि बोधगया में आने वाले अतिविशिष्ट/विशिष्ट अतिथियों के स्वागत एवं अन्य व्यवस्था की तैयारी में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कोई रुची नहीं ली जाती है, जिसके कारण अतिथियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, गया द्वारा बोधगया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर पंचायत, बोधगया द्वारा लगाये गये 52 सी०सी०टी०वी० कैमरा में से मात्र 14 कैमरा ही कियाशील रहने की स्थिति में कई बार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को वरीय पदाधिकारी द्वारा बोधगया की सुरक्षा संबंधी बैठक में कैमरे की मरम्मत कराने एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के अध्याचना के आलोक में कुछ स्थानों पर नया सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने का निदेश दिया गया है, परन्तु इनके द्वारा अब तक इस हेतु सार्थक कार्रवाई नहीं की गयी है।




श्री अजय कुमार
कार्यपालक पदाधिकारी
3.12.18

3230
04/12/18

अतः अनुरोध है कि श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया गया के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई कर किसी निष्ठावान्/संवेदनशील कार्यपालक पदाधिकारी को बोधगया में पदस्थापित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


आयुक्त, 03/12/18

मगध प्रमण्डल, गया।

21/12/18
37

71

2018

आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया।

संसां-XIV-आ-17/2019.....2019/आ

प्रेषक,

आयुक्त के सचिव,
मगध प्रमंडल, गया।

सेवा में,

अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

गया, दिनांक 22/9/19

प्रसंग :- अपका पत्रांक- 1771, दिनांक- 26.03.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री अजय कुमार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया है :-

1. "बोधगया में साफ-सफाई नहीं की जा रही है, नालियों में ठोस अवशिष्ट पड़े हुए हैं" के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा तीन पालियों में साफ-सफाई कार्य कराने की बात कही गयी है। तीन पालियों में सफाई के बावजूद साफ-सफाई नहीं होना पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की कमी दर्शाता है।
2. महापावन दलाई लामा के बोधगया आगमन के समय साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने की बात कही गयी है, परन्तु साफ-सफाई का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया और न ही कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सौन्दर्यीकरण कार्य में कोई अभिरुची परिलक्षित हुआ।
3. कुछ स्थानों पर CCTV Camera क्रियाशील नहीं पाये जाने एवं इस संबंध में कोई सार्थक कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं माना जा सकता है।

अतएव श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बारसोई के स्पष्टीकरण पर मंतव्य, अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

विश्वासार्थजन

आयुक्त के सचिव,
मगध प्रमंडल, गया।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

भरत झा, भा0प्र0से0

निदेशक नगरपालिका प्रशासन

-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत, बोधगया।

विषय:-

स्पष्टीकरण के संबंध में।

पटना, दिनांक-14/12/18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-302 दिनांक-03.12.18 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक-27.11.18 को महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के बिन्दु पर विचार विमर्श हेतु आहूत बैठक में आप बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये। समीक्षा बैठक में होटल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा बोधगया में साफ-सफाई नहीं की जा रही है, जिससे पर्यटकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। आयुक्त प्रमंडल, गया द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि बोधगया भ्रमण के क्रम में उनके द्वारा बोधगया शहर में साफ-सफाई नहीं देखी गई तथा विगत वर्षों की तुलना में साफ-सफाई की स्थिति काफी खराब पाई गई।

पत्र में यह भी उल्लेख है कि महापावन दलाई लामा का बोधगया आगमन एवं प्रवास दिनांक-16.12.18 से 31.12.18 तक निर्धारित है एवं बौद्ध महोत्सव, 2019 दिनांक-11.01.19 से 13.01.19 तक निर्धारित है, जिसके आलोक में बोधगया की बेहतर साफ-सफाई एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना आवश्यक है साथ ही बोधगया में आने वाले अतिविशिष्ट/विशिष्ट अतिथियों की स्वागत एवं अन्य व्यवस्था की तैयारी भी आवश्यक है, परन्तु आपके द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण अतिथियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

बोधगया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से नगर पंचायत, बोधगया द्वारा लगाये गये 52 सी0सी0टी0भी0 कैमरा में से मात्र 14 कैमरा ही क्रियाशील रहने की स्थिति में कई बार आपको वरीय पदाधिकारी द्वारा बोधगया की सुरक्षा संबंधी बैठक में कैमरे की मरम्मत कराने एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के अधियाचना के आलोक में कुछ स्थानों पर नया सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने का आदेश दिया गया, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में भी कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई।

अतएव आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया द्वारा आपके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन,

निदेशक नगरपालिका प्रशासन
-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 (का0पदा0)-17/2018

6520

/न0वि0एवं.आ0वि0, पटना, दिनांक-14/12/18

प्रतिलिपि:- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को उनके पत्रांक-302 दिनांक-03.12.18 के प्रसंग में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक नगरपालिका प्रशासन
-सह-विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राम सेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

आयुक्त,
मगध प्रमंडल, गया।

पटना, दिनांक- 26/12/18

विषय:-

श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके पत्रांक-302 दिनांक- 03.12.18 द्वारा श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई के विरुद्ध कार्य के प्रति लापवाही बरतने, कार्य में अभिरूचि नहीं लेने तथा अन्य कतिपय आरोप लगाते हुए श्री कुमार के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई कर उनके स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी के पदस्थापन का अनुरोध किया गया था।

उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-6520 दिनांक-14.12.18 द्वारा श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसके आलोक में उनके कार्यालय के पत्रांक-1250 दिनांक-17.12.18 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

अतएव श्री अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उनके स्पष्टीकरण पर अपने मंतव्य से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के अवर सचिव।

17

कार्यालय नगर पंचायत, बोधगया (गया)

पत्रांक.....1250

बोधगया, दिनांक 17-12-18

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बोधगया।

निदेशक नगरपालिका प्रशासन
—सह—विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार—पटना।

सेवा मे,

विषय— स्पष्टीकरण के संबंध में।
प्रसंग— भवदीय पत्रांक— 6520, दिनांक 14.12.18

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि आयुक्त महोदया, मगध प्रमण्डल, गया का पत्रांक 302, दिनांक 03.12.18 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 27.11.18 को महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के विन्दु पर विचार विमर्श हेतु आहुत बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए के संबंध में कहना है कि, विभागीय पत्रांक 2735, दिनांक 20.12.18 के द्वारा नगर निकायों में GEM PORTAL के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु दिनांक 27.11.18 को 09:30 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे संध्या तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिला पदाधिकारी, गया को इस कार्यालय का पत्रांक— 1166, दिनांक 26.11.18 के द्वारा मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति देने हेतु आग्रह करते हुए सूचित किया गया था (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। ऐसी परिस्थिति में वगैर सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहने का आरोप सत्य से परे है। महाबोधि मंदिर सुरक्षा व्यवस्था के विचार विमर्श हेतु आहुत बैठक में नगर पंचायत, बोधगया कार्यालय की ओर से श्री ओमप्रकाश कनीय, अभियंता उपस्थित थे जिनसे पूछे जाने पर सारी तथ्य की जानकारी दी गयी है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि बोधगया शहर में साफ—सफाई नहीं देखी गयी तथा विगत वर्षों की तुलना में साफ—सफाई की स्थिति काफी खराब पायी गयी के संबंध में सादर सूचित करना है कि वर्तमान समय में बोधगया में तीन पालियों में सफाई कार्य कराया जा रहा है।

महापावन दलाई लामा जी का बोधगया आगमन एवं प्रवास दिनांक 16.12.18 से 31.12.18 तक निर्धारित है एवं बौद्ध महोत्सव 2019 दिनांक—11.01.19 से 13.01.19 तक निर्धारित है, जिसके आलोक में बोधगया की बेहतर साफ—सफाई एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना आवश्यक है। साथहीं बोधगया में आने वाले अतिविशिष्ट/विशिष्ट अतिथियों के स्वागत एवं अन्य तैयारी की आवश्यकता है, परन्तु मेरे द्वारा कोई भी अभिरुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण अतिथियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है के संबंध में कहना है कि निर्धारित कार्यक्रम में बेहतर साफ—सफाई कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराए जाने के लिए कोटेशन आमंत्रण की सूचना प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार—पटना को इस कार्यालय के पत्रांक 1205, दिनांक 07.12.18 पत्र भेजा गया है (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। वरीय पदाधिकारी से प्राप्त निदेशों के आलोक में पूरी निष्ठा एवं तत्परता पूर्वक कार्य कराया जाता है। जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार आयोजित परीक्षाओं में ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावे अतिविशिष्ट/विशिष्ट अतिथियों के बोधगया आगमन पर मुझे Liaisoning Duty में लगाया जाता है।

बोधगया में साफ-सफाई की देख-रेख हेतु नगर पंचायत, बोधगया द्वारा (लगभग तीन वर्ष पूर्व) लगाए गए 52 सी0सी0टी0भी0 कैमरा में से मात्र 14 कैमरा ही क्रियाशील रहने तथा नया सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने का आदेश दिया गया परन्तु मेरे द्वारा इस संबंध में कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गयी के संबंध में सादर कहना है कि नगर पंचायत द्वारा सफाई कार्य की देख-रेख करने हेतु 52 सी0सी0टी0भी0 कैमरा का अधिष्ठापन कराया गया था जो लगभग 4-5 किलो मीटर ऑप्टिकल फाईबर तार के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरता है। तकनीकी खराबी अथवा तार टूटने आदि कारणों से कुछ स्थल के कैमरों का संचालन बाधित हो जाता है, जिसे ससमय ठीक कराया जाता है। (चालु कैमरा का चित्र संलग्न)। निदेशानुसार HD कैमरा एवं PTZ कैमरा लगाया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के बोधगया भ्रमण तथा बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में बोधगया नगर पंचायत को BELTRON से आधुनिक तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने का आदेश माह फरवरी 2018 में दिया गया था, परन्तु उक्त दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हो पायी है (छायाप्रति संलग्न)।

उल्लेखनीय है कि अधिष्ठापित कैमरा के देख-रेख एवं खराबी को बनाने में समय-समय पर व्यय होता रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत, बोधगया में नगर प्रबंधक पदस्थापित नहीं है, जिसके संबंध में इस कार्यालय के द्वारा नगर प्रबंधक के पदस्थापना हेतु आग्रह किया गया था। फलस्वरूप नगर निगम में पदस्थापित नगर प्रबंधक श्री विष्णु प्रभाकर को पत्रांक 628, दिनांक 10.12.18 के द्वारा अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक नगर पंचायत, बोधगया में प्रतिनियुक्त किया गया है, परन्तु अब तक उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है।

नगर पंचायत, बोधगया कार्यालय में मेरे अलावे कोई भी स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। इस कार्यालय द्वारा जिला पदाधिकारी से एक स्थायी कर्मी की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अब तक किसी कर्मी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। कर्मी के अभाव में भी सारे कार्यों का निष्पादन नियमित रूप से किया जाता है। साथ ही मुझे नगर पंचायत, बोधगया के अतिरिक्त नगर पंचायत, शेरघाटी का भी प्रभार दिया गया है।

अतः सादर अनुरोध है कि मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए मेरे उपर लगाए गए आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

104
17-12-2018
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत बोधगया।

संचिका सं. :-03/SBM-01-01/2017

/नवि0एवंआ0वि0

2735
बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रमुख
20-11-18

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक-20/11/18

विषय :- नगर निकायों में GeM Portal के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु
दिनांक-26.11.2018 एवं 27.11.2018 को प्रशिक्षण के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत 143 (एक सौ तैंतालीस) नगर निकायों में GeM Portal के माध्यम से सामग्रियों का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति को दिनांक-01.07.2018 के प्रभाव से अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निकायों को GeM Portal पर रजिस्ट्रेशन तथा सामग्रियों एवं सेवाओं के अधिप्राप्ति में हो रहे परेशानी को देखते हुए विभाग GeM Portal पर एक प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक-26.11.2018 एवं 27.11.2018 को नगर विकास एवं आवास विभाग के सभागार में आयोजित किया गया है। इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रम में स्वच्छ भारत संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी लिया जायगा, जिसके फॉर्मेट आपको Email के द्वारा भेजा रहा

अतः इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एक कम्प्यूटर ऑपरेटर या वैसे Portal से संबंधित कार्य करेंगे लैपटॉप, डाटा कार्ड, कार्यपालक पदाधिकारी (Primary) कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल फोन (OTP प्राप्त करने हेतु), gov.in का Email-Id एवं प्रमाण-पत्र कार्य हेतु कार्यपालक पदाधिकारी का मोहर आदि के साथ आप स्वयं इस प्रशिक्षण निर्धारित तिथि को ससमय भाग लेना सुनिश्चित करें।

| प्रशिक्षण कार्यक्रम | प्रशिक्षण की तिथि एवं समय |
|----------------------------|--|
| सभी नगर निगम एवं नगर परिषद | 26.11.2018, समय-9 : 30 पूर्वाह्न से संध्या 6 बजे तक। |
| सभी नगर पंचायत | 27.11.2018, समय-9 : 30 पूर्वाह्न से संध्या 6 बजे तक। |



कार्यालय नगर पंचायत, बोधगया



फोन नं. - 0631-2200719, फैक्स नं. - 0631-2200719. ई-मेल: - bodhgayamunicipal@gmail.com, website: - www.bodhgaya.biharurban.in

पत्रांक.....1166

दिनांक.....26.11-18

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बोधगया।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
गया।

विषय—

नगर निकाय में GEM Portal के माध्यम से सामग्रीयों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना का पत्रांक 2735 दिनांक 20.11.2018 के द्वारा नगर निकायों में GEM Portal के माध्यम से सामग्रीयों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु दिनांक 27.11.2018 को 9:30 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे संध्या तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भाग लेने हेतु निदेशित किया गया है जिसकी छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 27.11.2018 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक— यथोपरि

विश्वासभाजन


26.11.2018
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, बोधगया।